

इसे वेबसाइट [www.govt\\_pressmp.nic.in](http://www.govt_pressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 679]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 20 दिसम्बर 2017—अग्रहायण 29, शक 1939

किसान कल्याण तथा कृषि विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल  
भोपाल, दिनांक 20 दिसम्बर 2017

क्र. डी-15-75-2017-चौदह-3.—मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 (24, सन् 1973) की धारा 5 की उपधारा (2) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक डी-15-9-2014-चौदह-3, दिनांक 14 अक्टूबर, 2014 द्वारा स्थापित कृषि उपज मंडी समिति मुंगावली जिला अशोकनगर के निम्नलिखित स्थान, उस पर बने समस्त संरचना, अहाता, खुला स्थान या परिक्षेत्र को उपमंडी प्रांगण घोषित करती है, अर्थात्:—

### स्थान

ग्राम पंचायत बहादुरपुर, तहसील मुंगावली, जिला अशोकनगर के निम्नलिखित सर्वे नंबर 8/1/मिन-2 की 2.000 हेक्टर भूमि का क्षेत्र :—

क्रमांक (1)	सर्वे नंबर (2)	क्षेत्रफल (हेक्टर में) (3)
1	8/1/मिन-2	2.000 योग . . 2.000

### जिसकी सीमाएं

उत्तर में—मोला नदी।

दक्षिण में—रोड हरिजनों के पट्टे।

पूर्व में—मिडिल स्कूल की नई बिल्डिंग।

पश्चिम में—निजी भूमि।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
बी. एस. धुर्वे, उपसचिव।

भोपाल, दिनांक 20 दिसम्बर 2017

क्र. डी-15-75-2017-चौदह-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 20 दिसम्बर 2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

बी. एस. धुर्वे, उपसचिव।

Bhopal, the 20<sup>th</sup> December 2017

No. D-15-75-2017-XIV-3.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (2) of Section 5 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), the State Government hereby declared the following area including all structures, enclosure, open places or locality in the market area for which a market at Mungawali, District Ashoknager has been established by this Department's Notification No. D-15-9-2014-XIV-3, dated 14th October, 2014 shall be the Sub-market yard, namely:—

#### PLACE

An area of 2.000 Hectare's land of below Mentioned Survey number 8/1/Min-2 Gram Panchayat at Bahadurpur in Mungawali Tehsil of District Ashoknagar:—

S. No.	Survey No.	Area (In Hectare's)
(1)	(2)	(3)
1	8/1/Min-2	2.000
All Total . .2.000		

#### BOUNDED BY

**On the North by**—Mola river.

**On the South by**—Road of Schudule cast.

**On the East by**—Builing of new Middle School.

**On the West by**—Private Land.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
B. S. DHURVE, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 20 दिसम्बर 2017

क्र. डी-15-75-2017-चौदह-3.—मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 (24, सन् 1973) की धारा 5 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना, दिनांक 20 दिसम्बर 2017 के अधीन घोषित मंडी प्रांगण के संबंध में मंडी क्षेत्र मुंगावली, जिला अशोकनगर के निम्नलिखित क्षेत्र को उप मंडी क्षेत्र घोषित करती है:—

#### क्षेत्र

- (1) ग्राम पंचायत बहादुरपुर, तहसील मुंगावली, जिला अशोकनगर की सीमाओं के भीतर का क्षेत्र।
- (2) उपमंडी प्रांगण से 5 किलोमीटर की परिधि के भीतर आने वाले निम्नलिखित ग्रामों को समाविष्ट करता हुआ क्षेत्र:—  
 1. गीलारोपा, 2. सोपरा, 3. बमूरिया, 4. बावरोद, 5. गोरा, 6. बर्णी, 7. नरखेड़ा, 8. ओडेर, 9. इकोदिया, 10. वनहाई, 11. पुरा, 12. पिपरौदा, 13. पुरा मथाना, 14. अमोदा, 15. हारूखेड़ी, 16. कुकावली, 17. रमपुरा, 18. पिपरिया, 19. मिर्जापुर, 20. जसनखेड़ी, 21. बेरखेड़ी, 22. कुम्हरा, 23. सिरसौरा, 24. महौली, 25. सुमेर, 26. खिरिया, 27. हाजूखेड़ी, 28. बरखोवा, 29. गुपरिया, 30. खेरखाड़ी, 31. जारोली, 32. धुवयाई।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

बी. एस. धुर्वे, उपसचिव।

भोपाल, दिनांक 20 दिसम्बर 2017

क्र. डी-15-75-2017-चौदह-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना, दिनांक 20 दिसम्बर 2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
बी. एस. धुर्वे, उपसचिव.

Bhopal, the 20<sup>th</sup> December 2017

No. D-15-75-2017-XIV-3.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (2) of Section 5 of the Madhya Pradesh Krish Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), the State Government hereby declare that in the relation to the market yard declare *vide* this department's notification even number dated 20th December 2017 the following area of Mungawali of District Ashoknagar shall be Sub-market yard, namely:—

#### AREA

- (1) An area within the limit of Gram Panchayat Bahadurpur in Tehsil Mungawali of District Ashoknagar.
- (2) An area comprising of the following villages within the radius of 5 Kilometers from the Sub-market yard, namely:—
  - 1. Geelaropa, 2. Sopra, 3. Bamuriya, 4. Bavrod, 5. Gora, 6. Barri, 7. Narkheda, 8. Odeer, 9. Ecodiya, 10. Banhai, 11. Pura, 12. Piproda, 13. Pura Mthana, 14. Amoda, 15. Harukhedi, 16. Kukawali, 17. Rampura, 18. Pipariya 19. Mirjapur, 20. Jasankhedi 21. Berkhedi, 22. Kuhmrira, 23. Sirsora, 24. Mahouli, 25. Sumer, 26. Khirya, 27. Hajukhedi, 28. Warkhova, 29. Gupariya, 30. Kherkhadi, 31. Jarouli, 32. Dhuvyai.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
B. S. DHURVE, Dy. Secy.